

(1) दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 14 / 12

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 14 / 12

संस्थापन दिनांक-10 / 01 / 12

1. चंद्रशेखर उर्फ बच्चूलाल उम्र 51 वर्ष
पुत्र रामभरोसी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम
माहो परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
-----पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक

वि रु द्ध

- 1- रामप्रकाश उम्र 37 वर्ष
2- महेन्द्र उम्र 35 वर्ष
3- विनोद उम्र 33 वर्ष
4- विष्णु उम्र 30 वर्ष पुत्रगण जगन्नाथ प्रसाद
जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम माहो परगना गोहद जिला भिण्ड
5- म0प्र0 शसन द्वारा पुलिस थाना मालनपुर
.....प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण / अनावेदक

न्यायालय-अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला-भिण्ड के न्यायालय के
प्रकरण क्रमांक-32 / 10 मु0फौ0 चंद्रशेखर वि0 रामप्रकाश आदि में
पारित आदेश दिनांक 5 / 12 / 11 से उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण

-:- आ दे श -:-

(आज दिनांक 10 नवम्बर 2014 को पारित किया गया)

- 1- आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता चंद्रशेखर उर्फ बच्चूलाल की और से न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद द्वारा प्रकरण क्रमांक 32 / 10 मु0फौ0 में पारित आदेश दिनांक 5 / 12 / 11 से व्यथित होकर पेश की गई, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 145 द0प्र0सं0 के अंतर्गत पुनरीक्षणकर्ता का प्रस्तुत आवेदनपत्र ग्राह्य योग्य ना मानते हुये अस्वीकार किया है ।
- 2- प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित रहा है कि, पक्षकारों के मध्य पूर्व में भी सिविल वाद और धारा 145 द0प्र0सं0 की कार्यवाही संचालित हो चुकी है ।
- 3- पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण याचिका का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि उसके द्वारा दिनांक 17 / 9 / 10 को एस0डी0एम0 गोहद के न्यायालय में एक आवेदनपत्र इस आशय का पेश किया गया था कि भूमि सर्वे नंबर 145 रकवा 1. 86, 363 रकवा 1.50, 395 रकवा 1.73, 396 रकवा 1.32, 667 रकवा 0.14, 671 रकवा 0.71, 672 रकवा 0.20, 673 रकवा 0.76, 674 रकवा 0.25, जो ग्राम माहो

परगना गोहद में स्थित है, इस भूमि के श्यामलाल दत्तक पुत्र भीमसेन भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी थे वे आवेदक के सगे चाचा थे और उनकी लाओलाद मृत्यु हो गई है लेकिन उक्त भूमि का फर्जी वसीयतनामा व गोदनामा तैयार करके उक्त भूमि पर नामान्तरण की कार्यवाही तहसील न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन अनावेदक क्र०-1 लगायत 4 झगडा करके आवेदक के सगे बाबा की भूमि को दिनांक 15-9-10 को लाठी फरसा लेकर आ गये और जबरन जोतने को उतारू हो गये और कहा कि हम इस भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे जिससे गंभीर घटना कब्जा को लेकर हो सकती है । अतः उक्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे ।

4- उक्त आवेदनपत्र पर से अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस को शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं कब्जा को लेकर विवाद ना हो इस संबंध में रिपोर्ट तलब की जिस पर से पुलिस ने अधीनस्थ न्यायालय में इस्तगासा पेश किया जिस पर से धारा 145 (1) द०प्र०सं० के तहत संज्ञान लेते हुये उसे वह प्रत्यर्थी/अनावेदक क्र०-1 लगायत 4 को नोटिस जारी किया और उभय पक्ष उपस्थित हुये तथा कार्यवाही की जिस पर से साक्ष्य भी ली गई, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य पर कोई ध्यान ना देकर मात्र पूर्व में चले धारा 145 द०प्र०सं० के प्रकरण के आधार पर दिनांक 5/12/11 को आलोच्य आदेश पारित करते हुये उनका आवेदन निरस्त कर दिया जो कि विधि विधान के विपरीत होकर निरस्तगी योग्य है, और एक बार संज्ञान लेने के बाद साक्ष्य उपरांत गुणदोष पर निराकरण करना चाहिये था, जब कि ऐसा नहीं किया गया है, जिसके कारण यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करना पडी है इसलिये आलोच्य आदेश अपास्त किया जाये और विवादित भूमि पर उसका आधिपत्य है जिसकी घोषणा की जाये ।

5- उपरोक्त पुनरीक्षण के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:-

- 1- क्या विद्वान एस०डी०एम० गोहद द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/10 गुणित 145 द०प्र०सं० में दिनांक 5/12/11 को पारित आलोच्य आदेश अवैध अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किये जाने योग्य है ?
- 2- क्या पुनरीक्षणकर्ता का विवादित भूमि पर आधिपत्य घोषित किये जाने योग्य है ?

—::— निष्कर्ष के आधार—::—

6- उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दु का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति ना हो इस कारण एक साथ किया जा रहा है ।

7- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका अनुसार ही तर्क किये हैं । प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित है, उनकी और से कोई तर्क नहीं हुये है । प्रत्यर्थी क्र०-5 म०प्र० शासन की और से विद्वान ए०पी०पी० श्री बी०एस० बघेल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि सम्मत बताया है, और

पुनरीक्षण याचिका निरस्त करने की प्रार्थना इस आधार पर की है कि पूर्व में भी इसी आशय की कार्यवाही हो चुकी थी ।

8— अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन किया, जिसमें आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पेश किये गये आवेदन बिना किसी प्रावधान के पेश किया गया था । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि, आवेदनपत्र को धारा 145 द0प्र0सं0 के तहत सुनवाई में लिया गया है, ऐसे में आवेदनपत्र में संबंधित प्रावधान का उल्लेख ना होने के आधार पर कोई अन्यथा निष्कर्ष निकाला जा सकता है ।

9— विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश मुताबिक आवेदनपत्र धारा 145 द0प्र0सं0 के तहत ग्राह्य योग्य ना मानते हुये निरस्त किया है, जब कि उस समय आवेदनपत्र पर ही प्रकरण पंजीबद्ध करते हुये धारा 145 द0प्र0सं0 के तहत कार्यवाही संचालित की उभय पक्ष की साक्ष्य ली ऐसे में गुणदोष पर भी आवेदनपत्र का निराकरण किया जाना चाहिये था । अतः आवेदनपत्र ग्राह्य योग्य नहीं था तो प्रारंभिक अवस्था में ही उस आधार पर आवेदनपत्र निरस्त किया जा सकता था, जब कि ऐसा नहीं किया गया है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि सम्मत नहीं ठहराया जा सकता है, और धारा 145 द0प्र0सं0 के उपबंध मुताबिक विद्वान एस0डी0एम0 को विवाद उत्पन्न होने के पूर्ववर्ती दो माह की अवधि में कब्जे के संबंध में विचार करना होता है, जैसा कि धारा 145 (4) परन्तुक में स्पष्ट प्रावधान है, ऐसे में आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । फलतः उसे निरस्त करते हुये मामला इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य पर विचार करते हुये गुणदोष पर मूल आवेदन दिनांक 17/9/10 का निराकरण करे ।

10— उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही में भाग लेने हेतु स्वयं अथवा अधिवक्ताओं के माध्यम से दिनांक 20/11/2014 को उपस्थित हो । अनावेदक क्र0-1 लगायत 4 को अधीनस्थ न्यायालय सूचना देकर कार्यवाही करे ।

दिनांक-10/11/14

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0 आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0 आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड